फर्द अहकाम

न्यायालय

ओमप्रकाश बनाम गुल्ली /20

मुकदमा संख्या /वर्ष :

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित उप० बहस नहीं हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है बहस हेतु पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	21/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ने बहस उपस्थित प्रतिवादी/अप्रार्थी ने बहस नहीं हेतु अवसर चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	28/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित उप० वास्ते बहस हेतु दिनांक 31/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम गुल्ली वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 79/2022

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.07.2023	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीया व अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ग्राम चिताणुंकला, पटवार हल्का चिताणुकंला, भू अभि निरिक्षक क्षेत्र बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में भूमि खसरा नं. 582 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नं. 583 रकबा 0. 07 हेक्टेयर, खसरा नं. 584 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा नं. 585 रकबा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नं. 586 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नं. 587 रकबा 0.20 हेक्टेयर, खसरा नं. 588 रकबा 0.22 हेक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.53 हेक्टेयर स्थित जिसके हिस्से 1/2 की खातेदारी प्रार्थी एवं हिस्से 1/2 की खातेदारी अ सं. 1 के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद है। वादसंपति का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा यद्यपि मनबट से बंटवारा किया हुआ है परन्तु वादसंपति का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने वाद संपति में निहित अपने हिस्से 1/2 व कब्जेशुदा भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु राजस्व अभिलेख में खाता आज भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम संयुक्त रूप से है। जिसको लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य सीवडोल को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थी अधिकांशतः जयपुर में ही निवास करता है, परन्तु अपने खातेदारी की उक्त भूमि की सार संभाल के लिए वादसंपति पर जाता रहता है। इसी का अप्रार्थी सं 1 बेजा फायदा उठानी चाहती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से कई मर्तबा सहमति के आधार पर वाद सपंति का विभाजन करवा कर पृथक पृथक खाता व लगान कायम करवा लेने का सुझाव दिया जाता रहा है, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 सदैव ही आनाकानी करती रहती है। प्रार्थी दिनांक 20.11.2022 को अपनी हिस्से की कृषि भूमि की सार संभाल करने वाद संपति पर गया था। जहां अप्रार्थी सं. 1 मौजूद मिली। जो प्रार्थी की खातेदारी व हिस्सेदारी की भूमि की सींवडोल को तोडने व खडे हुए पौधो व वृक्षों की कटाई छटाई कर रही थी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से उक्त संदर्भ में आपत्ति की तो अप्रार्थी सं. 1 आग बबूला हो गयी तथा लडाई झगडा करने को आतुर हो गयी। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के प्रति बदनियती रखती है। जिस कारण अप्रार्थी सं. 1 ने धमकी दी की, प्रार्थी तो कभी कभार ही भूमि की सार संभाल करने आता है तथा वे रात बेरात मौका पाकर प्रार्थी की खातेदारी व हिस्से की भूमि कि मध्य की सीवडाले को तोडकर, हटाकर प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा करेगी। जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को समझाइश की गयी कि भूमि का सहमति से विभाजन करवाकर पैमाईश करवाकर पृथक पृथक खाता करवा लेते है तो अप्रार्थी सं. 1 इससे साफ इन्कार हो गयी एवं विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वे वादसंपत्ति भूमि खसरा नं. 582 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नं. 583 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा नं. 584 रकबा 0.48 हेक्टेयर, [illegible] 585 [illegible] 0.22 हेक्टेयर, खसरा नं. 586 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नं. 587 [illegible] 0 हेक्टेयर, खसरा नं. 588 रकबा 0.22 हेक्टेयर, [illegible] हेक्टेयर स्थित ग्राम चिताणुंकला, पटवार हल्का चिताणुंकला, भू अ[illegible] निरिक्षक क्षेत्र बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में प्रार्थी के [illegible] 1/2 के उपयोग उपभोग में प्रार्थी को किसी प्रकार की व्यवधा[illegible]धा, विघ्न आदी ना तो स्वयं उत्पन्न करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर चाकर, ठेकेदार आदी से करावें। अप्रार्थी सं. 1 उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर से करावे त इस कदर की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का भी अधिकारी है अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को वाद संपति में निहित प्रार्थी के हिस्से	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1/2 से जब बेदखल कर प्रार्थी के हक हिस्से कि आराजीयात पर ना तो जबरन कब्जा करे, ना ही सींवडोल व उस पर उगे हुए वृक्षों में कोई तोडफोड, कट छटाई इत्यादी करे। उक्त कृत्य ना तो स्वंय करे, ना ही किसी अन्य से करावे एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि है प्रार्थी द्वारा कभी भी मिन अप्रार्थी से विभाजन के संबंध में वार्तालाप नही की गई। इस संबंध में अन्य वर्णित तथ्य मिथ्या व मनगढंत अंकित किये गये हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि में आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कॉलोनीयां काटकर गणेश वाटिका के नाम से विकसित कर दी गई है मौके पर कृषि भूमि का अस्तित्व नही रहा है ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा हैं। मिन अप्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि पर रहवास व तारबन्दी कर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। उक्त वादअधीन आराजी पर मिन अप्रार्थी द्वारा पक्का मकान गुवाडी, बाडा व बोरिंग आदि निर्मित हैं। जबकि प्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि पर आवासीय कॉलोनी गणेश वाटिका होने से भूखण्ड के मालिको को कब्जा संभला दिया गया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मिथ्या दावा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी अपनी भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकारी नही हैं। यदि वादअधीन भूमि का विधिक विभाजन मिन जवाबदाता का मकान, बाडा बोरिंग व कब्जेशुदा आराजी व रास्ते को मध्यनजर रखते हुये किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है परन्तु यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मिन अप्रार्थी एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसे कानूनन एक सहखतेदार काश्तकार किसी भी प्रकार से की निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कर सकता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का है यदि उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग का निर्माण या बेचान कर देनें से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम चिताणुंकला, पटवार हल्का चिताणुकंला, भू अभि. नि. क्षेत्र बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 582 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नं. 583 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा नं. 584 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा नं. 585 रकबा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नं. 586 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नं. 587 रकबा 0.20 हेक्टेयर, खसरा नं. 588 रकबा 0.22 हेक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.53 हेक्टेयर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के हमफिता रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर